(50)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
14/2017/प्रा.पत्र/2017	23.02.2017	19.07.2019

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री नन्द किशोर साहू पुत्र धनश्याम साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री न्यू जोधपुर स्वीट बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज0 निवासी बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज0

2– मैसर्स श्री न्यू जोधपुर स्वीट बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज0

3–श्री दिनेश विजय पुत्र गोपाल लाल विजय प्रो0 मैसर्स दिनेश टैडर्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक राज0 निवासी छाया मार्केट जहाजपुर रोड देवली जिला टोंक राज0

4– मैसर्स दिनेश टैडर्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक राज0

5–श्री रचना सेठिया प्रोपराइटर/प्रबंधक मैसर्स सेठिया स्टीट्स प्रोडक्ट्स यूनिट द्वितीय एच–1/277–278 फेस–2बिछवाल इण्डस्ट्रीज एरिया बीकानेर निवासी 302 बाबा रेजीडेन्सी कनक विहार हीरापुरा पावर हाउस के पास अजमेर रोड जयपुर राज0

6– मैसर्स सेठिया स्टीट्स प्रोडक्ट्स यूनिट द्वितीय एच–1/277–278 फेस–2बिछवाल इण्डस्ट्रीज एरिया बीकानेर

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (iv) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी संख्या 1 ता.4 की और से श्री दिनेश विजय तथा अप्रार्थी संख्या 5 व 6 उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 19.07.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.10.2016 को समय 12.52 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स श्री न्यू जोधपुर स्वीट बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज0पर पहुंचां। प्रबंधक की हैसियत से नन्द किशोर साहू पुत्र धनश्याम साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री न्यू जोधपुर स्वीट बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज0 निवासी बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का प्रबंधक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नवीनकरण एप्लीकेशन दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान मे 250–250 ग्राम के 72 नग **सोन पपडी (मिठाई) मिलन ईलायची मूल पैक (Soan Papadi Sweet Milan Elaichi Brand)** जिसके बैच नम्बर यूएम 14 जे एंव पैकिंग की दिनांक 10.10.2016 थी,रखी हुई थी, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री नन्द किशोर साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता नन्दकिशोर साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

856

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा दुकान मे 72 नगो मे से 250–250 ग्राम के ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड 8 मूल पैक **सोन पपडी (मिठाई) मिलन ईलायची मूल पैक (Soan Papadi Sweet Milan Elaichi Brand)** वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री नन्दकिशोर साहू को रू0 280/–अक्षरे दो सौ अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सोन पपडी (मिठाई) मिलन ईलायची मूल पैक (Soan Papadi Sweet Milan Elaichi Brand)** 8 नग मूल पैक प्रत्येक 250–250 ग्राम पैक को ज्यो का त्यो दो–दो पेकटो को बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–1512 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1512 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. नन्दकिशोर साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री नन्दकिशोर साहू ने मौके पर **सोन पपडी (मिठाई) मिलन ईलायची मूल पैक (Soan Papadi Sweet Milan Elaichi Brand)** बतोर वारन्टी मैसर्स दिनेश टैडर्स छाया मार्केट देवली जिला टोंक राज0का खरीद बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं. 796 दिनांक 17.10.2016 की छायाप्रति प्रति पेश की। मैसर्स दिनेश टैडर्स छाया मार्केट देवली ज़िला टोंक राज0 ने मैसर्स सेठिया मार्केटिंग स्वेज फार्म न्यू सांगानेर रोड जयपुर का इन्वॉइस नं0 379 दिनांक 15.10.2016 के वारंटी बिल की छायाप्रति प्रेषित की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/5510 दिनांक 19.12.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/720/एक्ट/2016/770 दिनांक 01.12.2016 अनुसार नन्दकिशोर साहू से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **सोन पपडी (मिठाई) मिलन ईलायची मूल पैक (Soan Papadi Sweet Milan Elaichi Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **सोन पपडी (मिठाई) मिलन ईलायची मूल पैक (Soan Papadi Sweet Milan Elaichi Brand)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उनके प्रतिनिधि तथा अप्रार्थी संख्या 3 ता. 6 द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अप्रार्थी संख्या 5 ता. 6 ने अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **सोन पपडी (मिठाई) मिलन ईलायची मूल पैक (Soan Papadi Sweet Milan Elaichi Brand)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

857

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सोन पपडी (मिठाई) मिलन ईलायची मूल पैक (Soan Papadi Sweet Milan Elaichi Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 अप्रार्थी रचना सेठिया प्रोपराइटर/प्रवंधक मैसर्स सेठिया स्टीट्स प्रोडक्ट्स यूनिट द्वितीय एच–1/277–278 फेस–2विछवाल इण्डस्ट्रीज एरिया बीकानेर निवासी 302 बाबा रेजीडेन्सी कनक विहार हीरापुरा पावर हाउस के पास अजमेर रोड जयपुर राज0पर शास्ती 15,000/– (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संवंधित मद में निर्णय दिनांक 19.07.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक